



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20082022-238205
CG-DL-W-20082022-238205

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 20—अगस्त 26, 2022 (श्रावण 29, 1944)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 20—AUGUST 26, 2022 (SRAVANA 29, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	745	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	661	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2465	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	6583
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	115
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	2253
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	745	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	661	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	2465	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6583
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	115
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2253
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 2022

सं. ई.11011/1/2019- हिंदी-4-डीओआर—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने राजस्व, व्यय एवं निवेश और लोक परिसम्पत्ति विभागों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। समिति की संरचना और कार्य इस प्रकार होंगे:—

- | | |
|---|-----------|
| 1. वित्त मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. वित्त राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
| 3. वित्त राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
| संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद-सदस्य | |
| 4. श्री पी. रविंद्रनाथ कुमार, (लोक सभा) | सदस्य |
| 5. श्री अरुण कुमार सागर, (लोक सभा) | सदस्य |
| 6. श्रीमती कान्ता कर्दम, (राज्य सभा) | सदस्य |
| 7. श्री विवेक ठाकुर, (राज्य सभा) | सदस्य |
| संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद-सदस्य | |
| 8. श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, (राज्य सभा) | सदस्य |
| 9. श्री बसन्त कुमार पांडा, (लोक सभा) | सदस्य |
| राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित सदस्य | |
| 10. डॉ. शिवशंकर मिश्र, | सदस्य |
| केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा नामित सदस्य | |
| 11. डॉ. राकेश दूबे | सदस्य |
| राजस्व विभाग से नामित राजभाषा के विद्वान आदि | |
| 12. श्री अजीत कुमार पुरी, फ्लैट नं. 33, गंगा विशाल अपार्टमेंट, रोहित नगर कॉलोनी, बी.एच.यू.-सुंदरपुर रोड, वाराणसी- 221005, | सदस्य |
| 13. श्री यतींद्र नाथ चतुर्वेदी, 3/16, कबीर नगर, दुर्गाकुंड, वाराणसी-221005 | सदस्य |
| 14. श्री उपेंद्र पांडेय, 1202, टी-3, अमोलिक हाइट, सेक्टर-88, फरीदाबाद, हरियाणा- 121002 | सदस्य |
| 15. श्री महीपाल सिंह, ए-187, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092 | सदस्य |
| राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य | |
| 16. डॉ. विद्या विंदु सिंह, 'श्रीवत्स', 45, गोखले विहार मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | सदस्य |

17. श्री श्रीकृष्ण गौतम, टावर-14, फ्लैट नं. 1601, लोटस बुलेवार्ड, सेक्टर-100, नोएडा	सदस्य
18. श्रीमती स्वदेश शर्मा, हाऊस नं. 28, गली नं. 4, गुरु नानक नगर, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना	सदस्य
सरकारी सदस्य	
19. सचिव (राजस्व), वित्त मंत्रालय	सदस्य
20. सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय	सदस्य
21. सचिव, निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
22. भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
23. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
24. अध्यक्ष, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय	सदस्य
25. रजिस्ट्रार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण, पश्चिमी खंड-2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
26. रजिस्ट्रार, समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण, ए विंग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली	सदस्य
27. आयुक्त एवं सचिव, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग, होटल सम्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	सदस्य
28. महानिदेशक, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, इंडियन ऑयल भवन, जनपथ, नई दिल्ली	सदस्य
29. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन भवन, डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली	सदस्य
30. वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय	सदस्य
31. अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (स्टाफ/राजभाषा), बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
32. संयुक्त सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य-सचिव
समिति के कार्य	

समिति का कार्य संविधान, राजभाषा अधिनियम व नियम में निर्धारित सिद्धांतों तथा केन्द्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोग के सम्बंध में निर्धारित नीतियों और निदेशों के कार्यान्वयन में राजस्व, व्यय एवं निवेश और लोक परिसम्पत्ति विभागों तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को सलाह देना है।

समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीन वर्ष का होगा :

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही इस समिति के सदस्य रहेंगे; और
- (ग) किसी सदस्य द्वारा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र देने अथवा किसी कारणवश रिक्त हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होंगे।

सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा परंतु बैठक का आयोजन किसी अन्य स्थान पर भी किया जा सकता है।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2006 के का.जा. सं. II/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के अनुसार निम्नलिखित के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा:

- (क) समिति के नामित संसद सदस्यों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा; और
- (ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/22034/04/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य वेतन एवं लेखाधिकारी, भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक, समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ऋत्तिक पांडे
संयुक्त सचिव (राजस्व)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 8th August 2022

RESOLUTION

No. E-11011/1/2019- Hindi-4-DOR.—The Government of India, Ministry of finance has decided to reconstitute the Joint Hindi Salahakar Samiti of the Department of Revenue, Department of Expenditure, Department of Investment and Public Asset Management & Office of the Comptroller and Auditor General of India with the following composition and functions:—

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Finance Minister | Chairman |
| 2. Minister of State for Finance | Vice-Chairman |
| 3. Minister of State for Finance | Vice-Chairman |

Members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

- | | |
|--|--------|
| 4. Shri P. Ravindra Nath Kumar (Lok Sabha) | Member |
| 5. Shri Arun Kumar Sagar (Lok Sabha) | Member |
| 6. Smt. Kanta Kardam (Rajya Sabha) | Member |
| 7. Shri Vivek Thakur (Rajya Sabha) | Member |

Members of Parliament nominated by Committee of Parliament on Official Language

- | | |
|---|--------|
| 8. Shri Bashishth Narayan Singh (Rajya Sabha) | Member |
| 9. Shri Basant Kumar Panda (Lok Sabha) | Member |

Member nominated by Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha

- | | |
|----------------------------|--------|
| 10. Dr. Shiv Shankar Mishr | Member |
|----------------------------|--------|

Member nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

- | | |
|----------------------|--------|
| 11. Dr. Rakesh Dubey | Member |
|----------------------|--------|

Member nominated by the Department of Revenue, Ministry of Finance

- | | |
|--|--------|
| 12. Shri Ajit Kumar Puri, Flat no. 33, Ganga Vishal Apartment, Rohit Nagar Colony, BHU- Sundarpur Road, Varanasi- 221005 | Member |
| 13. Shri Yatindra Nath Chataurvedi, 3/16, Kabir Nagar, Durgakund, Varanasi-221005 | Member |
| 14. Shri Upendra Pandey, 1202, T-3, Amolik Heights, Sector-88, Faridabad, Haryana-121005 | Member |
| 15. Shri Mahipal Singh, A-187, Surajmal Vihar, Delhi-110092 | Member |

Members nominated by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

- | | |
|---|--------|
| 16. Dr. Vidya Vindu Singh, 'Shrivats', 45, Gokhale Vihar Marg, Lucknow (UP) | Member |
| 17. Shri Shrikrishna Gautam, 1601, Tower-14, Lotus Buleward sector-100, Noida | Member |
| 18. Smt. Swadesh Sharma, House no.28, Gali no.4, Guru Nanak Nagar, Ludhiana | Member |

Official Members

- | | |
|---|--------|
| 19. Secretary (Revenue), Ministry of Finance | Member |
| 20. Secretary (Expenditure), Ministry of Finance | Member |
| 21. Secretary, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance | Member |
| 22. Hindi Adviser to the Government of India & Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs | Member |

23.	Chairman, Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance	Member
24.	Chairman, Central Board of Indirect Taxes & Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi	Member
25.	Registrar, Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, Western Block, R.K. Puram, New Delhi	Member
26.	Registrar, Appellate Tribunal for Forfeited Properties, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi	Member
27.	Commissioner and Secretary, Customs and Central Excise Tax Settlement Commission, Hotel Samrat, Chanakyapuri, New Delhi	Member
28.	Director General, Central Economic Intelligence Bureau, Indian Oil Building,	Member
29.	Director, Enforcement Directorate, Enforcement Building, Dr.A.P.J.Abdul Kalam Road, New Delhi	Member
30.	Financial Advisor, Ministry of Finance	Member
31.	Additional Deputy Comptroller & Auditor General (Staff/Official Language) of India, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi	Member
32.	Joint Secretary (Revenue), Department of Revenue, Ministry of Finance	Member Secretary

FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

The functions of the Samiti are to render advice to the Departments of Revenue, Expenditure and Investment and Public Asset Management & Office of the Comptroller and Auditor General of India of the Ministry of Finance on matters relating to progressive use of Hindi for Official purposes in accordance with the guidelines contained in the Constitution, Official Language acts and rules and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Department of Official Language.

TENURE OF THE COMMITTEE

The term of Committee will be three years from the date of its formation provided that:

- (i) A Member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be its member of the committee as soon as he ceased to be a Member of Parliament;
- (ii) The ex-officio members of the committee shall continue to be members so long as they hold the posts on which they have become member of the committee; and
- (iii) A person appointed for the vacant post during the tenure of Committee will be a member only for the remaining tenure of three years only.

GENERAL

The Headquarters of the committee shall be at New Delhi but may hold its meeting at any other place also.

ALLOWANCES

The Non-official members of the committee will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the committee in terms of the provisions contained in the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, office memorandum no. II/20034/04/2005-OL(Policy-2) dated 3rd February, 2006 in the following manner:

- (i) The Members of Parliament nominated in the Committee will be paid travelling allowances as per the provision in the "Members of Parliament (Salary, Allowances and Pension Act, 1954", as amended from time to time and rules framed thereunder, and
- (ii) Travelling allowances and daily allowances to other non-official members of the Committee will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No. II/22034/04/86-OL(A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the rates and rules prescribed from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, NITI Aayog, UPSC, Chief Pay and Accounts Officer, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit Central Revenue, all the Members of the Committee, and all Ministries and Departments of the Government of India.

It is also ordered that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

RITVIK PANDEY
Joint Secretary (Revenue)